दिन सम्बद्ध The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9771 No. 9771

नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2010/वैशाख 29, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2010/VAISAKHA 29, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2010

सं. 35/2010-आयकर

का.आ. 1185(अ), --- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदुद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 732(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :---

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची I में, कॉलम (4) में, क्रम संख्या 82 के सामने प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातु :--

> "केरल राज्य में, कोझीकोड, मालाप्परम, वायनाड, कन्नूर, कासारगोड जिले तथा संघ राज्य क्षेत्र पाँडिचेरी का माहे क्षेत्र ।"

> > [फा. सं. 189/6/2009-आईटीए-I]

पदम सिंह, अवर सचिव (आईटीए-I)

टिप्पणी :-प्रधान अधिसूचना सं. का.आ. 732(अ), दिनांक 31 जलाई, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3. उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई तथा अंतिम बार संख्या का.आ. 715(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010 के तहत संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2010

No. 35/2010-INCOME TAX

S.O. 1185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, number S.O. 732(E), dated 31st July, 2001. namely:

In the said notification, in Schedule I, in column (4), for the entries against serial number 82, the following entries shall be substituted, namely:-

> "In the State of Kerala, Districts of Kozhikode, Malappuram, Waynad, Kannur, Kasargod and areas of Mahe of Union Territory of Pondichery."

> > [F. No. 189/6/2009-ITA-I]

PADAM SINGH, Under Secy. (ITA-I)

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 732(E), dated the 31st July, 2001 and lastly amended vide number S.O. 715(E), dated the 31st March, 2010.

1911 GI/2010